पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-50/2017-अंश-।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक:- ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, पटना।

फैक्स/ ई-मेल

सेवा में,
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर।

पटना, दिनांक-

विषय:- ***रोसड़ा नगर परिषद बाईपास के मार्गरेखण में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप बाईपास निर्माण हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा (समस्तीपुर) अन्तर्गत बूढ़ी गंडक बाँध पर पथ निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त (NOC) निर्गत करने के संबंध में।***

प्रसंग:- ***आपका पत्रांक-3560 दिनांक-29.08.2026***

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से रोसड़ा नगर परिषद बाईपास के मार्गरेखण में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप बाईपास निर्माण हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा (समस्तीपुर) अन्तर्गत बूढ़ी गंडक बाँध पर 7350 मीटर की लम्बाई में पथ निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) निर्गत करने निमित्त प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसके पथांश निम्नवत है:-

(i) महथी, समस्तीपुर साईड (दायाँ तटबंध) लघु जल संसाधन विभाग के ऊर्द्धव सिंचाई योजना पम्प के निकट महथी पुल बूढ़ी गंडक के कि0मी0 89.00 से सिंघिया (एस0एच0-55), बुढ़ी गंडक पुल (सलखन्नी) कि0मी0 94.150 (कुल लम्बाई-5150 मी0)

(ii) दौलतपुर, बेगुसराय साईड(बायाँ तटबंध)-महथी स्थित बूढ़ी गंडक पुल महथी स्थित पुल से दौलतपुर गाँव मोड़ तक कि0मी0 94.000 से कि0मी0 96.200 (कुल लम्बाई 2200 मी0)

उक्त के आलोक में विषयांकित कार्य हेतु मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद का पत्रांक-168 दिनांक-30.07.2025 से निर्गत प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति को निरस्त करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निम्न शर्त्तो के साथ दी जाती है :-

1. सड़क का टॉप किसी भी परिस्थिति में फॉरमेशन लेवल/ नदी के HFL से 1.8 मीटर Free Board से कम नही होगा।
2. फॉरमेशन लेवल पर तटबंध की चौड़ाई 5.5 मी0 से कम नही होगा।
3. तटबंध का River side slope 2:1 तथा Country side slope 3:1 में मिट्टी कार्य सुनिश्चित करते हुए रूपांकित सेक्शन प्राप्त करते हुए सड़क निर्माण कार्य कराना होगा।
4. सड़क निर्माण के दौरान एवं उपरान्त जल संसाधन विभाग के वाहनों का निर्बाध रूप से आवागमन होता रहेगा।
5. तटबंध का सेक्शन बूढ़ी गंडक नदी के उच्चतम जलस्तर पर आधारित I.S Code के अनुरूप रूपांकित सेक्शन से कम नही होगा।

24. विषयांकित निर्माण कार्य में जमीन हस्तांतरित निहित नही है। जल संसाधन विभाग का स्वामित्व तटबंध-सह-सड़क एवं संलग्न भू-भाग पर यथावत् रहेगा।
25. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है। यदि अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग (पथ निर्माण विभाग, बिहार) की होगी।
26. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता को स-समय देना होगा।
27. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
28. किसी भी तरह के भू-अर्जन का व्यय कार्यकारी विभाग (पथ निर्माण विभाग, बिहार) को स्वयं वहन करना होगा।
29. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक-यो०मो०-4(विविध)07-372/2020 पार्ट -II-143/पटना दिनांक-06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये Flood Plain Zoning के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
30. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक-1/पी.एम.सी./विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 द्वारा निर्गत निदेश के अनुपालन में संबंधित संवेदक द्वारा CBuD App का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
31. उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नही करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक- बाढ़(मो0)सिं0-50/2017-अंश-। पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर/ कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गये शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक- बाढ़(मो0)सिं0-50/2017-अंश-। 4196 पटना/दिनांक- 13/11/2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय